दिव्यांग बच्चे और शिक्षा

वर्तमान परिदृश्य, प्रयास व चुनौतियाँ

मध्य प्रदेश के जिला भोपाल में दिव्यांग बच्चों की शैक्षणिक स्थिति पर
पैरवी, नई दिल्ली व निवसिड-बचपन, भोपाल की रिपोर्ट

दिव्यांग बच्चे और शिक्षा

वर्तमान परिदृश्य, प्रयास व चुनौतियाँ

मध्य प्रदेश के ज़िला भोपाल में दिव्यांग बच्चों की शैक्षणिक स्थिति पर
पैरवी, नई दिल्ली व निवसिड बचपन, भोपाल की रिपोर्ट

दिव्यांग बच्चे और शिक्षा
वर्तमान परिदृश्य, प्रयास व चुनौतियाँ

मध्य प्रदेश के ज़िला भोपाल में दिव्यांग बच्चों की शैक्षणिक स्थिति पर
पैरवी, नई दिल्ली व निवसिड-बचपन, भोपाल की रिपोर्ट

मई 2017

रिपोर्टः सत्येन्द्र पाण्डेय
संपादनः रजनीश श्रीवास्तव

प्रकाशक
पैरवी
ई-46, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024
फोनः 011—29841266, 65151897
ईमेलः pairvidelhi1@gmail.com | वैबसाइटः www.pairvi.org

भूमिका

शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन का आवश्यक व महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मनुष्य के वैयक्तिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा भी जाता है कि एक शिक्षित समाज प्रगतिशीलता की निशानी है। प्रख्यात समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स का कथन है कि किसी समाज की प्रगति देखनी हो तो यह देखिए कि उस समाज की महिलाएँ कितनी शिक्षित हैं।

हमारे देश में भी शिक्षा को प्रगति के ऐसे ही अनिवार्य अंग की तरह देखने का नतीजा है कि शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून बना और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य हुई। सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएँ अस्तित्व में आईं। लेकिन हम देखते हैं कि कई प्रावधानों, योजनाओं के बावजूद हमारे आस-पास ही कई बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे में उन बच्चों की शिक्षा की स्थिति का ठीक-ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है जो किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शायद ही कोई दृष्टिहीन बच्चा आपको शासकीय विद्यालय में पढ़ता हुआ दिखाई देगा।

किसी न किसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक बाधा के शिकार (विशेष योग्यता वाले/Specially Abled) बच्चों की शिक्षा का स्तर, उनकी चुनौतियाँ व शैक्षणिक संस्थानों में उनकी बेहतर शिक्षा के लिए मौजूद सुविधाओं के बारे में जानने-समझने और सामने लाने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में 17 से 20 अप्रैल 2017 तक पैरवी, नई दिल्ली ने निवसिड-बचपन, भोपाल के साथ मिलकर एक फैक्ट फाइंडिग की।

फैक्ट फाइंडिंग टीम में निवसिड-बचपन से सत्येंद्र पाण्डेय (कार्यक्रम समन्वयक), तरन्नुम मेवाती (शिक्षा कार्यक्रम समन्वयक), लक्ष्मी कुशवाहा (सी.एल.सी. समन्वयक), ममता चौहान व मंजू माली (सामुदायिक कार्यकर्ता) एवं पैरवी से रजनीश श्रीवास्तव शामिल रहे, जिन्होंने भोपाल ज़िले की विभिन्न बस्तियों में विशेष योग्यता वाले बच्चों, उनके अभिवावकों, शिक्षकों व इन बच्चों के लिए कार्यरत अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ व्यक्तियों से संवाद किया एवं विद्यालयों व विशेष केन्द्रों का अवलोकन किया। इस फैक्ट फाइंडिंग में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जो कि इस रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत हैं।

सारांश

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में दिव्यांग बच्चों की स्थिति जानने के लिए की गई इस फैक्ट फाइंडिंग में जो तथ्य निकलकर सामने आए वह इन बच्चों की शिक्षा के प्रति हमारे सामाजिक दृष्टिकोण, राजनैतिक व संस्थागत जिम्मेदारी व प्रयासों में गंभीरता की कमी को प्रदर्शित करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भोपाल ज़िले में दिव्यांग बच्चों की संख्या 84,502 है, लेकिन हमने पाया कि शासकीय विद्यालयों में दर्ज कुल बच्चों में एक प्रतिशत से भी कम दिव्यांग बच्चे हैं, इनमें से 50 प्रतिशत अस्थिबाधित व 50 प्रतिशत अन्य बाधाओं (शारीरिक व मानसिक) से ग्रस्त हैं।

विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की इतनी कम संख्या के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। एक तो ऐसे बच्चों के अभिवावकों में जागरूकता की कमी, जिसके कारण वे ऐसे बच्चों की शिक्षा के प्रति या तो उदासीन हैं या फिर उस धारणा से ग्रस्त हैं कि इन बच्चों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा! यह दिव्यांग लोगों को कमतर आंकने का पारंपरिक सामाजिक दृष्टिकोण है, जिसे अब तक तोड़ा नहीं जा सका है।

दूसरा प्रमुख कारण जो दिव्यांग बच्चे विद्यालय जाते हैं उनके लिए शासकीय विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव है। दिव्यांग बच्चों की श्रेणियों के अनुरूप व आवश्यकता के अनुसार उन्हें पढ़ाने में सक्षम प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालयों में नहीं हैं और न ही मौजूदा शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। हमने जिन शासकीय विद्यालयों का अवलोकन किया उनमें से 85 प्रतिशत विद्यालयों में रैम्प व दिव्यांग बच्चों के अनुकूल शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं थीं और 75 प्रतिशत विद्यालयों में दिव्यांग बच्चे दर्ज ही नहीं थे। इसके अलावा मूक-बधिर व दृष्टिहीन बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री जैसे ब्रेल पुस्तकों, साइन लैंग्वेज के प्रशिक्षण आदि का अभाव इन बच्चों की विद्यालय में मौजूदगी के बावजूद शिक्षा प्राप्त करने में बाधक बनता है।

इन बच्चों के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता भी शिक्षा के स्तर को बेहतर कर सकती है, लेकिन इस मामले में भी हालात चिंताजनक हैं। फैक्ट फाइंडिंग में शामिल किसी भी बच्चे को सहायक उपकरण, जैसे श्रवण यंत्र, व्हील चेयर आदि प्राप्त नहीं हुआ है। इसे अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आगे रिपोर्ट में वर्णित हैं।

आम तौर पर जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से अन्य लोगों की तरह नहीं होते और उनके किसी अंग मे कोई जन्मजात अथवा पश्चातवर्ती व्याधि या असामान्यता होती है, उन्हें अशक्त, विकलांग, विशेष व्यक्ति आदि संबोधन दिये जाते रहे हैं। चूंकि परंपरागत रूप से इन लोगों के विषय में जो सामान्य धारणाएं प्रचालित थीं वे बहुत मित्रवत और संवेदनशील न होने के कारण इन लोगों को ब्याधि आधारित संबोधनों से पुकारा जाता रहा है, जैसे - जिसके हाथों में ब्याधि हो उसे लूला, पैरों में ब्याधि वाले को लंगडा और दृष्टिबाधित को सूरदास इत्यादि। लंबे समय तक इन्हीं नामों का प्रयोग होने के कारण ये नाम ही अधिक प्रचलन में आ गये और यही कारण था कि जब विकलांग शब्द का प्रयोग आरंभ किया गया तो मंशा बहुत नेक होने के बावजूद लोगों में उसको लेकर भी परंपरागत धारणा ही अधिक प्रचलित रही और एक समय के बाद ऐसे लोगों के लिए यह शब्द भी अपमान की वजह बनने लगा। परिणामस्वरूप आधुनिक समाजशास्त्रियों, चिकित्सा विज्ञानियों और सोशल सेक्टर की सक्रियता के कारण कई नवीन शब्द अस्तित्व में आए- विशेष योग्य (Specially Abled), अलग प्रकार से योग्य (Differently Abled) आदि। वर्तमान प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इन दिनों एक नये शब्द की उत्पत्ति हुई है- दिव्यांग। कुल मिलाकर देखें तो पुकारे जाने वाले शब्द बदलते रहे और साथ ही नई-नई योजनाएं भी आतीं रहीं परंतु जमीनी स्तर पर तकलीफ अभी भी बहुत कम तो नहीं ही हुई है।

विकलांगता या दिव्यांगता को हमारे समाज में एक अभिशाप की तरह लिया जाता है और इस कारण से बचपन से ही इन बच्चों को समाज और परिवार में दरकिनार करने की कोशिश आरंभ हो जाती है। यकीनन कई सारे परिवार इसके अपवाद भी हैं और वे अपनी हैसियत से अधिक संसाधन इन बच्चों पर लगाते हैं परंतु आम तौर पर तो परिवारों में इन बच्चों के पालन-पोषण को लेकर एक खास किस्म की उदासीनता हमें दिखाई देती है। भोपाल स्थित आरुषि केंद्र पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमें बताया गया कि लोग अन्य सामान्य बच्चों की परवरिश

और शिक्षा पर तो बहुत व्यय करते हैं क्योंकि उन्हें प्रतीत होता है कि ये बच्चे उनकी वृद्धावस्था में उनके सहारे की तरह काम करेंगे परंतु विशेष बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जाता। यही कारण है कि जिन बच्चों को परवरिश और शिक्षा पर अधिक निवेश की आवश्यकता है वे अक्सर उपेक्षित ही रह जाते हैं।

श्रेणियाँ और संख्या

श्रेणियाँ

विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत दिव्यांगता को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। आमतौर पर इन परिभाषाओं में दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों को ही सूचीबद्ध किया गया है। विकलांगताओं का उल्लेख, विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 में और स्वलीनता, मस्तिष्क पक्षाघात, मंदबुद्धि और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 में है। ये विकलांगताएं हैं-

1. अंधता
2. कम दृष्टि
3. उपचारित कुष्ठ रोग
4. बहरापन
5. लोकोमोटर विकलांगता
6. मंदबुद्धि
7. मानसिक रोग
8. स्वलीनता
9. मस्तिष्क पक्षाघात

समय-समय पर दिव्यांगता की परिभाषाओं अथवा दायरों को बदला जाता रहा है। उदाहरण के लिये जनगणना 2011 में दिव्यांगों की गिनती करते समय बहुत से पुराने मानक बदल दिए गए, जो 2001 में काम में लाए गए थे। उदाहरण के लिये 2011 की जनगणना में एक आँख से हीन लोगों को दृष्टिबाधित नहीं

माना गया जबकि 2001 में इन्हें माना गया था। इसके उलट 2001 की गणना में श्रवणयंत्र लगाने वाले लोगों को दिव्यांग नहीं माना गया था जबकि 2011 में इन्हें इस कोटि में शामिल किया गया है।

दिव्यांग संख्याः राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर

हमारे देश में दिव्यांग लोगों की बढ़ती हुई संख्या अपने-आप में एक चिंता का विषय है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में दिव्यांगों लोगों की कुल संख्या 2,68,10,557 है जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के शिकार हैं। म.प्र. की यदि बात करें तो यह संख्या 15,51,931 है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में दिव्यांगों की कुल संख्या 4,46,227 है। भोपाल जिले की यदि बात करें तो कुल दिव्यांग बच्चों की संख्या 84,502 एवं शहरी क्षेत्र में 73,903 है। सभी स्थानों पर पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक नजर आती है।

शिक्षा हेतु योजनाएँ व नियम

शिक्षा संबंधी सभी आधुनिक चर्चाओं में दिव्यांग बच्चों के लिये हमेशा से ही एक संवेदनशीलता रही है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा आयोगों, जैसे- कोठारी कमीशन, ने भी इस हेतु सुझाव प्रदान किये हैं। अब तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009 है जो 01 अप्रैल 2010 से लागू है। इस अधिनियम में दिव्यांगता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है।

आरटीई में बोलने और सीखने में अक्षमता आदि की परेशानियों वाले 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए भी पड़ोस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था की गई है। सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के मानदंडों को भी आरटीई अधिनियम-2009 की व्यवस्थाओं के अनुरूप बना दिया है। सर्वशिक्षा अभियान यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे

को, चाहे वह किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित हो, उद्देश्यपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए।

इस अभियान के अंतर्गत किसी को भी शिक्षा देने से इंकार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए और उसकी पढ़ाई ऐसे वातावरण में होनी चाहिए, जो उसकी सीख सकने की क्षमता व आवश्यकताओं के अनुरूप हो। समावेशी शिक्षा के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत जिन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, वे हैं–

- बच्चों की पहचान
- शिक्षा संबंधी औपचारिक मूल्यांकन
- आवश्यकता के अनुरूप उचित शिक्षा की व्यवस्था
- व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित शिक्षा योजना तैयार करना
- सहायक और अन्य उपकरणों की व्यवस्था
- शिक्षक प्रशिक्षण
- बाहरी शिक्षक की सहायता
- वास्तु संबंधी अवरोधों को हटाना
- अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन
- दिव्यांग लड़कियों पर विशेष ध्यान।

दिव्यांग बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा की योजना के स्थान पर 2009–10 में माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की योजना शुरू की गई थी। इस योजना में नवीं से बारहवीं कक्षा के दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य दिव्यांगता वाले सभी छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के पहले आठ वर्ष पूरे करने के बाद आगे के चार वर्षों की नवीं से बारहवीं तक की माध्यमिक स्तर की समावेशी शिक्षा अनुकूल वातावरण में प्रदान करना है। इस योजना में प्राथमिक विद्यालयों से पास होने वाले तथा सरकारी, नगरपालिका और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे ऐसे बच्चे शामिल हैं, जो उपरोक्त अधिनियमों के मानदंडों के अनुसार एक या अधिक विकलांगता से प्रभावित हैं।

माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना के विभिन्न पहलू हैं –

- चिकित्सा शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं का आकलन
- छात्र की विशिष्ट आवश्यकता वाली सुविधा की व्यवस्था
- शिक्षा सामग्री का विकास
- सहायक सेवाएँ, जैसे विशेष शिक्षकों की व्यवस्था
- संसाधन कक्षों का निर्माण और उपकरण
- सामान्य विद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण ताकि वे दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता प्राप्त कर सकें
- स्कूलों को अवरोधों से मुक्त रखना।

प्रत्येक राज्य में मॉडल समावेशी स्कूलों की स्थापना का भी प्रावधान है। दिव्यांगता से ग्रस्त लड़कियों पर विशेष ध्यान देने और उनकी सहायता करने का भी प्रावधान है ताकि वे माध्यमिक स्कूल में पहुँच सकें। योजना के अंतर्गत लड़कियों की क्षमता का विकास करने के लिए उन्हें आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया जाता है। दिव्यांग लड़कियों के लिए दो सौ रुपये मासिक छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है।

विशेष योग्यता और शिक्षा: ज़मीनी हकीक़त

तमाम प्रावधानों के बावजूद यह बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि ज़मीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है? और इस स्थिति का पहला अनुमान आधिकारिक वैबसाइट www.educationportal.mp.gov.in पर बीते वर्षों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के विद्यालयों में नामांकन की सूची देखने पर ही हो जाता है। वैबसाइट पर एक प्रपत्र में बीते वर्षों में भोपाल जिले के चाइल्ड विद स्पेशल नीड (CWSN) बच्चों की जानकारी शून्य है, जबकि एक अन्य प्रपत्र के अनुसार ऐसे कुल 224 बच्चों का नामांकन हुआ है और एक अन्य प्रपत्र की अनुसार दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत व कक्षावार नामांकित बच्चों की

कुल संख्या 2744 है। (देखें संलग्नक), जबकि इसी वैबसाइट के मुताबिक भोपाल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कुल संख्या 2952 है। एक ही जानकारी से संबंधित अलग-अलग प्रपत्रों में इतनी अलग जानकारी से किसी नतीजे पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे बच्चों व उनके अभिवावकों से प्राप्त जानकारी से ज़रूर हम कुछ नतीजे निकाल सकते हैं।

शिक्षा की राह में मुश्किलें

दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं, शिक्षा में उनकी सहभागिता और उससे जुड़ी परेशानियों को बच्चों एवं उनके परिजनों से ही जानने के लिए भोपाल ज़िले की 7 बस्तियों का चयन किया गया, जहाँ एक प्रपत्र और बच्चों व उनके परिजनों से संवाद के माध्यम से इन बस्तियों में मौजूद दिव्यांग बच्चों की संख्या एवं उनकी परिस्थितियों का आकलन किया गया। चूँकि हमारा उद्देश्य मुख्यतः शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग छात्रों की स्थिति का जायजा लेना था, इसलिए हमने इस सर्वे में बच्चों के अतिरिक्त कुछ युवाओं को भी शामिल किया। सर्वे उपरांत निम्नलिखित बिंदु निकल कर आए -

तालिका-1: दिव्यांग बच्चों की जानकारी

<table>
<tr><th>क्र.</th><th colspan="7">विवरण</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">बच्चों की संख्या</td><td>बालक</td><td colspan="2">बालिका</td><td colspan="3">कुल</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">15</td><td colspan="3">27</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">आयुवर्ग</td><td>0-6 वर्ष</td><td colspan="2">6-14 वर्ष</td><td colspan="3">15-25 वर्ष</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">18</td><td colspan="3">6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td colspan="7">दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार संख्या</td></tr>
<tr><td>अस्थिबाधित</td><td>मानसिक</td><td>श्रवणबाधित</td><td>मूक-बधिर</td><td>दृष्टिबाधित</td><td>बहुविकलांग</td></tr>
<tr><td>11</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td colspan="2" rowspan="2">विकलांगता प्रमाण-पत्र</td><td colspan="2">है</td><td colspan="3">नहीं है</td></tr>
<tr><td colspan="2">14</td><td colspan="3">13</td></tr>
</table>

5.	शिक्षण संस्थाओं में उपस्थिति					
	आँगनबाड़ी	शाला में दर्ज	कॉलेज में दर्ज	प्रायवेट शिक्षा	शालात्यागी	अपंजीकृत
	3	10	3	2	4	5
6.	योजना लाभ	छात्रवृत्ति	पेंशन/ आर्थिक सहायता	उपकरण	गैर-लाभान्वित	
		4	3	0	20	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्तमान में ज़िले में 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों में विकलांगता का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसमें भी बालिकाओं की संख्या अधिक है, जो कि अधिक चिंता का विषय है। ये सभी बच्चे आर्थिक आधार पर निचले या निम्न-मध्यमवर्गीय दर्जे के परिवारों के बच्चे हैं। सभी बच्चों के माता-पिता या तो मज़दूरी करते हैं या प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पुताई जैसा कोई छोटा-मोटा काम। आमतौर पर इस दर्जे के परिवारों में ऐसे बच्चों के प्रति जो उदासीनता होती है, वह इन बच्चों के मामले में भी दिखाई दी। बच्चों के परिजनों से शिक्षा के बारे में बात करने पर पता चला कि अधिकांश माता-पिता स्वयं अशिक्षित या अल्प शिक्षित हैं। उनके पास अपने बच्चों की शिक्षा का स्तर मापने का पैमाना सिर्फ यह है कि बच्चे बताते हैं कि उनकी पढ़ाई ठीक चल रही है। अधिकांश माता-पिता का बच्चों के शिक्षकों या विद्यालय से भी संवाद न के बराबर है, संवाद केवल तब होता है जब शिक्षक माता-पिता को विद्यालय बुलाते हैं। यह बात तालिका में दर्शायी गई शिक्षण संस्थाओं में बच्चों की उपस्थिति से भी सामने आती है। 27 में से मात्र 16 बच्चे नियमित शालाओं में दर्ज हैं। शालात्यागी व अपंजीकृत बच्चों की संख्या दर्शाती है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम योजनाओं और प्रावधानों के बावजूद शिक्षा से वंचित रह जाने वाले बच्चों का प्रतिशत काफी बड़ा है। यदि तालिका में दर्ज आंकड़ों के अनुसार देखें तो तकरीबन 33 प्रतिशत बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांग बच्चों की संख्या में भी भारी गिरावट है। तालिका के अनुसार भी और कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों से बातचीत के आधार पर जो तथ्य निकलकर सामने आया वह यह है कि माध्यमिक शालाओं में दर्ज दिव्यांग छात्रों में से तकरीबन 30 प्रतिशत ही उच्च

शिक्षा ग्रहण करने के लिए पंजीकृत होते हैं। इसके पीछे माता-पिता का इन बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक न होना, शिक्षा व्यवस्था की ख़ामियाँ और योजनाओं का समुचित तरीके से क्रियान्वयन न होना जैसे कारण हैं, जो आगे उल्लिखत कुछ उदाहरणों से अधिक स्पष्ट रूप से समझे जा सकते हैं।

अन्य श्रेणियों की तुलना में अस्थिबाधित बच्चों की संख्या अधिक है। अस्थिबाधित बच्चों के लिए अन्य श्रेणियों के बच्चों की तुलना में शिक्षा ग्रहण करना अधिक सुविधाजनक है और विद्यालयों में भी उनके लिये बहुत अधिक अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि उन्हें भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तकरीबन 80 प्रतिशत छात्रों और उनके परिजनों ने बताया कि विद्यालय में उनके अनुकूल शौचालय की सुविधा नहीं है। कक्षा में पहुँचने के लिए यदि सीढ़ियाँ हैं तो उन्हें सीढ़ियाँ ही चढ़नी पढ़ती हैं, रैम्प की व्यवस्था नहीं है। यह ऐसी छोटी-छोटी आवश्यकताएँ हैं जिनका अभाव अस्थिबाधित बच्चों की शिक्षा व समग्र विकास में बाधा बन रहा है। इसे बी.कॉम द्वित्तीय वर्ष में पढ़ रही नज़मा की कहानी से और बेहतर समझा जा सकता है।

केस स्टडी - 1

नजमा वर्तमान में नूतन कॉलेज में बी.कॉम. द्वित्तीय वर्ष में अध्ययनरत हैं। उनके पिता ईसाक ख़ान पुताई का काम करते हैं। नजमा का जन्म से ही एक पैर नहीं है और दूसरा भी बेहद कमजोर है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नालंदा विद्यालय (निजी) से प्राप्त की है जहाँ उनके लिए रैम्प, अनूकूल शौचालय आदि कोई विशिष्ट सुविधा नहीं थी। बैंक में नौकरी करने की ख़्वाहिशमंद नजमा बताती हैं कि विद्यालय में इन सुविधाओं का अभाव कभी-कभी इतना तकलीफदेह होता था कि विद्यालय जाने का मन नहीं होता था। अब कॉलेज में रैम्प है जिसका इस्तेमाल उनके लिए सुविधाजनक है।

नजमा ने बताया कि कॉलेज तकरीबन 13 किलोमीटर दूर है जहाँ तक बस से जाने में उन्हें परेशानी होती है इसलिए वे ऑटो से जाती हैं। नजमा पढ़ाई के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधि में हिस्सा नहीं लेतीं, यहां तक कि कॉलेज के वार्षिकोत्सव के दौरान वे कॉलेज ही नहीं जातीं। उनके मुताबिक वजह यह है कि वार्षिकोत्सव में भीड़ बहुत होती है जिसमें खुद को होने वाली असुविधा को ध्यान में

रखकर वे नहीं जातीं। यह भी एक वजह हो सकती है लेकिन उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि अन्य गतिविधियों में शामिल न हो पाने की कसक उनके भीतर है, जिसकी वजह संभवतः हीनताबोध या कॉलेज में समानता के व्यवहार का न होना हो सकता है।

यह पूछने पर कि क्या उन्हें कॉलेज में अन्य छात्रों से किसी तरह की शिकायत या परेशानी है, उन्होंने झिझकते हुए जवाब इन्कार में दिया। लेकिन नजमा की माँ ने उनकी इस झिझक को ज़ुबान दी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में साथ के कुछ बच्चों ने पैर की कमजोरी को लेकर कुछ कहा, मजाक बनाया उसके बाद से नजमा बस अपनी पढ़ाई तक ही सीमित रहती हैं। इच्छा तो इनकी भी होती है, लेकिन ये सोचकर कि बाकी बच्चे तो सब जल्दी-जल्दी कर लेंगे ये नहीं कर पाएँगी, या फिर कोई कुछ न कह दे, ये किसी चीज में हिस्सा नहीं लेतीं।

कॉलेज के शिक्षकों के व्यवहार के बारे में पूछने पर नजमा ने कहा कि शिक्षक काफी मददगार हैं, उनकी सहूलियत के लिए कक्षाएँ ग्राउण्ड फ्लोर पर अरेंज कर दी हैं।

वर्तमान में नजमा एक कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कंप्यूटर प्रशिक्षण ले रही हैं जो कि प्रथम तल पर है, जहाँ उन्हें सीढ़ियां चढ़ना-उतरना पड़ता है। नजमा की माँ बताती हैं कि कोचिंग से लौटकर काफी देर तक इनकी हालत ख़राब रहती है। सीढ़ियां चढ़ना-उतरना काफी थका देता है।

नजमा का विकलांगता प्रमाण-पत्र है और उन्हें कॉलेज से 150 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा उन्हें अन्य किसी भी तरह की सुविधा या उपकरण अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि व्हील चेयर दिये जाने का वादा एक सरकारी कैम्प में उनसे किया गया था, लेकिन अब तक वह हकीकत में नहीं बदला है।

नजमा की स्कूल के लेकर कॉलेज तक की यात्रा व अन्य परिस्थितियाँ दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली सरकारी मदद की हकीकत और उन परेशानियों की तर्जुमानी करती हैं जो एक अस्थिबाधित बच्चे की शिक्षा व विकास में रुकावट पैदा करती हैं। नजमा अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर हैं और तमाम मुश्किलों के बावजूद वे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। लेकिन जिन दिक्कतों का वे सामना करती हैं, कितने ही बच्चे उन्हीं दिक्कतों का इस जीवट से सामना नहीं कर पाते।

सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ भी ऐसे बच्चों की शिक्षा में बाधक हैं। कई माता-पिता इतने सक्षम नहीं होते कि वे सरकारी मदद न मिल पाने पर भी इन दिक्कतों का कोई समाधान अपने स्तर से कर सकें। नतीजतन ऐसे बच्चों की शिक्षा के प्रति उनकी रुचि कम होती जाती है और कई बार इसका असर परिवार के दूसरे बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है। जैसा कि 9 वर्षीय सुमित के मामले में हुआ।

केस स्टडी-2

9 वर्षीय सुमित अस्थिबाधित है। वह बिल्कुल भी चल नहीं सकता। पिछले वर्ष उसका दाखिला दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा वाले विद्यालय 'आयाम स्कूल' में पहली कक्षा में हुआ था। लेकिन डेढ़-दो महीने बाद उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। सुमित ने बताया कि उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, जब वह स्कूल जाता था तो उसे वहां पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता था। सुमित का परिवार यह ठीक-ठीक नहीं बता सका कि उसका स्कूल बंद करने की मुख्य वजह क्या थी, लेकिन यह उन्होंने कहा कि सुमित बिल्कुल भी चल-फिर नहीं पाता है, उन्हें डर लगता था कि कहीं कुछ हो न जाए और फिर वे भी सुबह से निकले शाम को ही घर आते हैं। वो घर में ही रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। गौरतलब है कि सुमित की माँ वंदना और पिता प्रकाश दोनों ही दिहाड़ी मज़दूर हैं। घर में सुमित की देखभाल उसकी बड़ी बहिन करती है।

जब हमने आयाम स्कूल में सुमित के बारे में बात की तो पता चला कि माता-पिता की अपनी संवेदना है कि वे बच्चे के प्रति चिंतित हैं किन्तु विडंबना है कि वे बच्चे का मंहगा इलाज अपनी आर्थिक अक्षमता के कारण नहीं करा पाए और सरकारी इमदाद भी उन्हें समय से नहीं मिली। लेकिन इससे न केवल सुमित बल्कि उसकी बहिन की भी शिक्षा प्रभावित हो रही है। सुमित की देखभाल करने की वजह से उसकी बहिन भी अभी तक स्कूल नहीं गई है। आयाम स्कूल के प्रबंधन ने इस मुश्किल को मद्देनजर रखते हुए सुमित के साथ-साथ उसकी बहिन का भी स्कूल में दाखिला किया था। लेकिन कुछ समय बाद अचानक ही दोनों ने स्कूल आना बंद कर दिया।

सुमित के मामले में हम देखते हैं कि सुमित की विकलांगता की वजह से न केवल सुमित बल्कि उसकी बड़ी बहिन भी शिक्षा से वंचित रह गई है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने हमें विश्वास दिलाया कि नए सत्र में वे फिर से दोनों भाई-बहिन को स्कूल में वापस लाएंगे।

नजमा और सुमित की कठिनाई उनका अस्थिबाधित होना है, लेकिन वे कक्षा में बैठकर जो पढ़ाया जा रहा उसे समझ सकते हैं। लक्ष्मी और निक्की के लिए यह काफी मुश्किल कार्य है।

केस स्टडी-3

लक्ष्मी बरेठा और निक्की अंचल दोनों ही मूक-बधिर हैं। लक्ष्मी कक्षा 2 की छात्रा है और निक्की कक्षा 5 की। दोनों से ही हमारे सवाल-जवाब लिखकर और इशारों की भाषा में हुए। लक्ष्मी ने बताया कि वह अपनी कक्षा में पीछे की बेंच पर बैठती है। गौरतलब है कि लक्ष्मी के पास 90 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण-पत्र है और बहुत ऊँचा बोलने पर उसे सुनाई भी दे जाता है। इसलिए उसकी मुश्किल दोगुनी है क्योंकि वह सुनने की क्षमता होने के कारण सुनने का प्रयास करती है लेकिन सुन नहीं सकती। स्कूल में जब तक शिक्षक जोर से न बोलें तब तक उसकी समझ में कुछ नहीं आता। बातचीत के दौरान लक्ष्मी ने भी बताया और उसके स्कूल 'ओल्ड कैम्पेन प्राथमिक विद्यालय' की शिक्षिकाओं ने भी इस बात की पुष्टि की कि स्कूल में ऐसा कोई शिक्षक नहीं है जो संकेत भाषा जानता हो, और न ही शिक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है। उसकी शिक्षिकाओं ने बताया कि 'वह पढ़ने में तो

तेज़ है लेकिन अन्य बच्चों की तरह सुन-समझ नहीं सकती इसलिए पीछे रह जाती है, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि ऊँचा बोलें और बार-बार उसे समझाएँ ताकि वह बाकी बच्चों के समकक्ष रहे किन्तु हर समय ऐसा संभव नहीं होता। यदि उस पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं तो अन्य बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। उसकी सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए यदि कोई उपकरण उसे प्राप्त हो जाए या उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षक उसे उपलब्ध हो, तो वह बहुत अच्छा पढ़ सकती है।'

बावजूद इसके कि लक्ष्मी का विकलांगता प्रमाण-पत्र है, उसे छात्रवृति प्राप्त नहीं होती। वजह यह कि उसके पिता स्वतंत्र बरेठा ने विकलांगता प्रमाण-पत्र स्कूल में जमा नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि विकलांगता प्रमाण-पत्र क्या है। और स्कूल से हमें जो जानकारी मिली वह यह कि लक्ष्मी का विकलांगता प्रमाण-पत्र अब तक बना ही नहीं है।

वह पढाई के अलावा अन्य गतिविधियों जैसे खेल आदि में बिल्कुल भाग नहीं लेती है। शिक्षकों ने बताया कि 'चूँकि वह बोल-सुन नहीं सकती इसलिए अन्य बच्चों के साथ खेल आदि में वह तालमेल नहीं बैठा पाती। बच्चे कभी उसे चिढ़ा भी देते है जिसकी वजह से उसके अंदर कभी-कभी हीनभावना भी दिखाई देती है।' शायद यही वजह है कि स्कूल में लक्ष्मी का कोई दोस्त नहीं है। हालांकि वह बचपन संस्था द्वारा संचालित बाल गतिविधि केंद्र में नियमित आती है और यहां वह रुचि के साथ सीख भी रही है और उसके दोस्त भी हैं।

कुछ ऐसी ही स्थिति निक्की अंचल की है। निक्की कक्षा 5 की छात्रा है और बिल्कुल भी बोल-सुन नहीं सकती। पढ़ने-लिखने में वह भी उन्हीं दिक्कतों का सामना करती है, जिनसे लक्ष्मी दो-चार होती है। निक्की की बहन अलीशा के अनुसार पढ़ाई में निक्की सामान्य है। घर पर जब वे उसे पढ़ाती हैं तो दो-तीन बार बताने पर वह समझ जाती है और याद भी रखती है। हालांकि वह नहीं बताती कि उसे स्कूल में पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन हम यह समझ सकते हैं क्योंकि न तो वहां कोई इसकी भाषा में, इशारों में इसे समझाता है न ही इस पर अलग

से ध्यान दिया जाता है। हालांकि विकलांगता प्रमाण-पत्र होने की वजह से स्कूल में फीस नहीं लगती।

निक्की से हुई बातचीत से यह भी पता चला कि स्कूल में शिक्षकों का रवैया भी उसके लिए मुश्किल भरा है। निक्की ने बताया कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आता और वह दो-तीन बार पूछती है तो शिक्षिका नाराज़ होती हैं। वह क्या कहती हैं यह तो वह नहीं जानती पर यह समझ जाती है कि वे उसे डाँट रही हैं। कक्षा में उसे आखिरी बेंच पर बिठाया जाता है। निक्की ने यह भी बताया कि अगर वह अपना काम पूरा नहीं कर पाती तो स्कूल की मैडम उसे लंच नहीं करने देतीं। उसके सहपाठी ख़ासकर कुछ लड़के उसे स्कूल व रास्ते में परेशान भी करते हैं और उसका मज़ाक भी उड़ाते हैं। स्कूल में मूक-बधिर बच्चों को पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है।

इनके अलावा कुछ और बच्चों की जानकारी उन बिंदुओं को दर्शाती है, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उनके शिक्षा के अधिकार को पाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं। जैसे -

कु. इशिका

इशिका अभी तीन साल की है और बांसखेडी स्थित आंगनवाडी केंद्र में दर्ज है एवं रोज जाती है। उसकी आंखों में परेशानी है जिसकी वजह से वह धूप और तेज़ रौशनी में ठीक से देख नहीं पाती है। उसकी आँखें तेज़ रौशनी बर्दाश्त नहीं कर पातीं। इशिका के पिता संजय साहू चाय की एक छोटी-सी गुमठी लगाते हैं। इशिका की आँखों की सरकारी चिकित्सा शिविर में तकरीबन 6 महीने पहले जाँच कराई जा चुकी है किंतु अब तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। इशिका का विकलांगता प्रमाण-पत्र नहीं बना है और न ही किसी प्रकार की किसी शासकीय योजना का लाभ उसे प्राप्त हुआ है।

कु. प्रमिला मालवीय

प्रमिला की उम्र 16 वर्ष है। 4 वर्ष की आयु तक उसकी गतिविधियाँ सामान्य बच्चों की तरह ही थीं लेकिन मस्तिष्क ज्वर हो जाने के कारण वह वहुविकलांगता की श्रेणी में आ गई और आज उसकी विकलांगता की तीव्रता 90 प्रतिशत से

अधिक है। प्रमिला विगत कई सालों से पूरी तरह बिस्तर के हवाले है और सिर्फ सुन सकती है एवं कुछ परिचित आवाजों को पहचान पाती है। वह अपने से करवट भी नहीं बदल सकती है। वह कभी स्कूल नहीं जा सकी और न ही उसका कोई विधिवत इलाज करवाया गया है।

कु. पूजा

पूजा की आयु 10 वर्ष है और वह कक्षा 3 की छात्रा है। पूजा दृष्टिबाधित है और वह 5-6 फुट से अधिक दूर की वस्तु को ठीक से देख या पहचान नहीं पाती है। इसी वजह से उसे लिखी हुई इबारत पढ़ने में भी दिक्कत होती है। पूजा के पिता राजमिस्त्री हैं और माँ मजदूरी करती हैं। सरकारी कैंप में उसकी आँखों की जाँच कराई गई थी, जिसमें उपचार के बारे में बताया गया था, किन्तु आर्थिक सहायता न मिलने के कारण अब तक उसका इलाज नहीं कराया जा सका है और न ही किसी अन्य प्रकार की शासकीय सहायता प्राप्त हुई है। बातचीत के दौरान हमने पाया कि स्कूल में शिक्षकों का व्यवहार पूजा के साथ ठीक ही रहता है वे उसे पहली पंक्ति में बिठाते हैं ताकि वह बोर्ड पर ठीक से देख सके। पर इससे उसकी पढ़ाई में कोई ख़ास मदद नहीं मिल पाती है।

कु. सोनू व कु. पायल

सोनू की उम्र 13 वर्ष है और कक्षा 5 की छात्रा है। वह अस्थिबाधित है और ऐसा प्रतीत होता है कि रिकेट जैसी बीमारी के कारण उसका पांव खराब हो गया है। जबकि पायल को देखने में परेशानी होती है। पायल की उम्र 10 वर्ष है और वह कक्षा 3 में पढ़ती है। दोनों बहनें आयाम स्कूल में पढने जातीं हैं जो विशेष बच्चों के लिये ही है। सोनू का विकलांगता प्रमाण-पत्र बन चुका है जबकि पायल का नहीं बना है।

सोनू ने बताया कि उसके कुछ सहपाठियों और पड़ोसियों का व्यवहार ठीक नहीं है। वे उसे चिढ़ाते हैं जिसके कारण वह गुस्सा हो जाती है। उसकी एक पडोसिन ने बताया कि सोनू कई बार मुहल्ले के बच्चों के साथ झगड बैठती है और उन्हें पत्थर आदि भी मार देती है। सोनू ने इस पर कहा कि तो लोग मुझे लंगड़ी क्यों कहते हैं?

पायल को 5-6 फुट की दूरी की चीजें नहीं दिखाई देतीं। किताब भी वह आँखों के बहुत नज़दीक लाकर ही पढ़ पाती है। दोनों ही बहनों का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया गया था, लेकिन कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा।

सोनू व पायल दोनों के अनुसार स्कूल में उन्हें इसके अलावा कोई परेशानी नहीं होती कि कभी-कभी कुछ शैतान बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा होने पर शिक्षक उन बच्चों को समझाते हैं और ऐसा करने के लिए मना करते हैं। सोनू ने बताया कि एक बार उसके एक टीचर ने उसे चिढ़ा दिया था तो हैड मैडम ने उन्हें स्कूल से ही हटा दिया है। दोनों बहनों ने ही बताया कि पढ़ाई में दिक्कत होने पर अक्सर बड़े बच्चे मदद भी करते हैं।

गजराज

गजराज की उम्र 10 वर्ष है और वह बोल-सुन नहीं सकता। वह कक्षा 2 का छात्र है व मीरा नगर शासकीय स्कूल में पढ़ने जाता है। गजराज के व्यवहार में किंचित आक्रामकता भी है। उसने हमें बताया कि जब उसके सहपाठी उसे चिढ़ाते हैं तो वह झगड़ बैठता है और शिक्षक उसे घर वापिस भेज देते हैं और डांट भी लगाते हैं। गजराज की मां ने बताया कि स्कूल के शिक्षक उसे अपने स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि इस स्कूल में मूक-बधिर बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते, तुम अपने बच्चे को विशेष स्कूल में ले जाओ। गजराज के पास विकलांगता प्रमाण पत्र है, लेकिन उसे छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती।

कु. शिवानी व अभिषेक

शिवानी की उम्र 14 वर्ष है और उसने पांचवीं करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि बस्ती में उसके बाद स्कूल नहीं हैं। उसके माता-पिता उसे दूर के स्कूल में अकेले नहीं भेजना चाहते क्योंकि शिवानी की मानसिक बाधा के चलते उन्हें अनिष्ट की आशंका सताती है। जबकि अभिषेक अभी कक्षा 6 का छात्र है। वह भी मानसिक

बाधा का शिकार है। दोनों बच्चों की माँ श्रीमती संगीता बंगलों में झाड़ू-पोंछा करने जाती हैं जबकि पिता कोई काम नहीं करते।

दोनो ही बच्चों के विकलांगता प्रमाण-पत्र बने हैं परंतु उन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

कु. निशा

निशा की उम्र 15 वर्ष है और वह ओल्ड कैम्पेन हाई स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा है। अपनी माध्यमिक शिक्षा उन्होंने ओल्ड कैम्पेन माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त की है। निशा अस्थिबाधित है जिसके कारण उनके दोनों पैरों के पंजे मुड़े हुए हैं। 100-150 कदम चलने के बाद पैरों में दर्द होने लगता है और आगे चलना मुश्किल हो जाता है। निशा ने बताया कि माध्यमिक विद्यालय में भी और हाई स्कूल में भी वे कई बार अपना विकलांगता प्रमाण-पत्र दे चुकी हैं लेकिन उन्हें अब तक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अस्पताल से उन्हें चलने में सहायता करने वाले उपकरण (बैसाखी, ट्राइसाइकिल) देने का वादा भी दो बार किया जा चुका है लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला है। निशा के पिता अशोक धारे दिहाड़ी मज़दूर हैं। वह कहती हैं कि बिना किसी सहायता के इतनी दूर तक स्कूल जाना बहुत कठिनाई भरा होता है, पैदल जा नहीं सकते और बस में भी परेशानी होती है। वे यह भी कहती हैं कि बिना किसी सरकारी मदद (छात्रवृत्ति) के आगे पढ़ाई करना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि उनके पिता कई तरह की फीस, किताबों, आवागमन आदि सब खर्चे वहन नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता का मजदूर कार्ड भी बना हुआ है लेकिन उस मद से भी उन्हें शिक्षा विभाग से कोई छूट या लाभ नहीं मिला है।

कु. पूनम

पूनम की उम्र 15 वर्ष है। उनके पिता ओमकार बखरे पुताई का काम करते हैं जबकि मां कलाबाई दूसरों के घरों में झाड़ू-पोंछा करती हैं। पूनम को सुनाई देता है पर वह कुछ बोल नहीं पाती है। उसको कभी स्कूल नहीं भेजा गया है। वह अपने

से ही स्लेट या कागज पर कुछ अस्पष्ट सा लिखती रहती है। देखने से प्रतीत होता है कि उसे पढाई करना अच्छा लगता है। जब पूनम की माँ से पूछा गया कि उसे स्कूल क्यों नहीं भेजा तो उन्होंने जो जवाब दिया उसका सार एक प्रश्न के रूप में सामने था कि बोलने-सुनने और दिमागी कमजोर बच्ची कैसे पढ़ पाती?

शासकीय विद्यालय और समावेशी शिक्षा

शासकीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति, उनके लिए सुविधाएँ और शिक्षा में उनका स्तर जानने के लिए हमने शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का अवलोकन किया और शिक्षकों से बात की। शासकीय ओल्ड कैम्पियन प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय और शासकीय सरोजिनी नायडू प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसे जानने से पहले इन विद्यालयों में विशेष बच्चों की संख्या के बारे में जान लेना अधिक महत्वपूर्ण है।

तालिका-2: शासकीय विद्यालयों में दिव्यांग छात्र

विद्यालय	कुछ छात्र संख्या	दिव्यांग छात्रों की संख्या
सरोजिनी नायडू कन्या माध्यमिक विद्यालय	201	1
सरोजिनी नायडू प्राथमिक विद्यालय	164	0
ओल्ड कैम्पियन माध्यमिक विद्यालय	301	0
ओल्ड कैम्पियन प्राथमिक विद्यालय	217	7

उक्त तालिका के अनुसार देखें तो भोपाल ज़िले के जिन चार प्रमुख विद्यालयों की जानकारी ली गई उनमें नामांकित छात्रों की कुल संख्या 883 है जबकि दिव्यांग छात्रों की संख्या देखें तो सिर्फ़ 8 छात्र ही नामांकित हैं। यानी समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत कुल नामांकित छात्रों में 1 प्रतिशत से भी कम दिव्यांग छात्र हैं।

अगर श्रेणी के अनुसार देखें तो इस 1 प्रतिशत में भी 50 प्रतिशत अस्थिबाधित बच्चे हैं और मूक-बधिर, मानसिक बाधा के शिकार, दृष्टिबाधित और बहुविकलांग की श्रेणी में समान रूप से 12.5 प्रतिशत बच्चे हैं।

गौरतलब है कि हमने जिन बस्तियों में संपर्क किया वहाँ से अधिकांश बच्चे (सामान्य) इन्हीं विद्यालयों में जाते हैं ऐसे में शासकीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के नामांकन का यह प्रतिशत समावेशी शिक्षा योजना की सफलता का हाल बयान करता है। 2016 के आरंभ में आई एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में दिव्यांग व्यक्तियों में से सिर्फ़ 50 प्रतिशत व्यक्ति ही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, जिनमें से सिर्फ 20 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा तक पहुँच पाते हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि शिक्षा से वंचित रह जाने वालों की सबसे अधिक तादाद दक्षिण एशियाई देशों में है। भोपाल ज़िले में दिव्यांग बच्चों की संख्या के अनुपात में उपरोक्त आंकड़ा भी इस रिपोर्ट की पुष्टि करता है।

दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक स्तर को शिक्षा केंद्रों के पैमाने पर जानने के लिए विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं के अवलोकन के साथ हमने शिक्षकों से संवाद भी किया।

सरोजिनी नायडू शासकीय माध्यमिक शाला की प्रधानाचार्य श्रीमती लक्ष्मी भार्गव से सकारात्मक माहौल में बात हुई और विशेष बच्चों के प्रति वे बहुत गंभीरता से बात करतीं रहीं। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में एक ही बच्ची विशेष योग्यता से युक्त है, जिसका नाम शिवानी है। शिवानी कक्षा 7 में पढ़ती है। उसे हाई मायोपिया है जिसका विकलांगता प्रमाण-पत्र बना हुआ है एवं छात्रवृति भी प्राप्त होती है। शिवानी को विकलांगता छात्रवृति के अलावा पिछड़ा वर्ग छात्रवृति तथा म.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा निर्माण मज़दूरी में लगे कामगारों के बच्चों के लिये दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त होती है।

यह पूछने पर कि क्या इस बच्ची के साथ कोई विशेष प्रयास किया जाता है? उन्होंने बताया कि शिवानी को 7-8 फुट की दूरी से देखने में दिक्कत होती है इसलिये कक्षा में आगे बिठाते हैं ताकि उसे ठीक से दिखाई देता रहे और वह बोर्ड पर लिखे गये अक्षरों को पहचान सके।

क्या आप लोगों को दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने या उन्हें पढ़ाने के संबंध में कोई प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है? इस सवाल के उत्तर में प्रधानाचार्य एवं

अन्य उपस्थित शिक्षिकाओं ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर कभी-कभी इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है लेकिन उनके विद्यालय से अभी तक किसी ने भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

सरोजिनी नायडू प्राथमिक शाला में भी शिक्षकों ने प्रशिक्षण के संदर्भ में उपरोक्त बात ही दोहराई। विशेष बच्चों के नामांकन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस विद्यालय से प्राप्त हुई। शिक्षकों ने बताया कि शिवानी, जो कि अब माध्यमिक शाला में पहुँच गई है, के अलावा विगत 20 वर्षों में दिव्यांग किसी अन्य बच्चे का नामांकन प्राथमिक शाला में नहीं हुआ है।

20 वर्ष में सिर्फ एक बच्चे का नामांकन होना दर्शाता है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक बाधा से पीड़ित बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कितनी उपस्थिति है। यह बेहद निराशाजनक स्थिति है।

ठीक ऐसी ही स्थिति 10 नंबर मार्केट स्थित ओल्ड कैम्पियन प्राथमिक शाला में पाई गई। वहाँ भी ऐसा कोई बच्चा नामांकित नहीं है। शिक्षकों ने बताया कि कुछ साल पहले एक छात्र अजय मानिक था, जो अस्थि बाधित था लेकिन उसने स्कूल आना बन्द कर दिया। शिक्षकों का कहना है कि उसका व्यवहार ठीक नहीं था। माता-पिता मजदूरी करते थे और वह बस्ती के अन्य बच्चों की सोहबत में बिगड़ गया था। पढ़ना उसे पसंद नहीं था। विद्यालय में भी उसका व्यवहार ठीक नहीं था, अन्य बच्चों के साथ वह झगड़ता रहता था तो उनकी पढ़ाई में भी बाधा ही आती थी। उसके पिता से इस बारे में बात करने पर वह उसे पीटते थे।

यहाँ गौर करने योग्य बिंदु यह है कि अजय के उग्र व्यवहार और बिगड़ने का ज़िक्र तो शिक्षकों ने किया लेकिन इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझकर उनका निदान करने का विचार शायद उन्हें नहीं आया। शोध बताते हैं कि ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार के शारीरिक विकार से ग्रस्त हैं और अधिकांश समय अपने माता-पिता के संपर्क में नहीं रहते उनमें से अधिकतर बच्चों में उग्रता पाई जाती है, जिसके कि मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। बहुत संभव था कि यदि इस नजरिये से सोचा जाता तो शायद अजय आज भी विद्यालय में पढ़ रहा होता। लेकिन शिक्षकों में उसके विद्यालय न आने को लेकर एक तरह से 'बला टली' जैसा भाव था।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में शिक्षकों ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण हुआ था जिसमें विद्यालय के दो शिक्षकों ने भाग लिया था। प्रशिक्षण

लेने वाले शिक्षकों ने बताया कि प्रशिक्षण में उन्हें बताया गया था कि विशिष्ट बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और सामान्य बच्चों को विशिष्ट बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी विशेष श्रेणी के बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

ओल्ड कैम्पियन प्राथमिक शाला में दिव्यांग 7 बच्चे अध्ययनरत हैं -

1. अवनि पुत्री हर्ष नानोटी, आयु 5 वर्ष, कक्षा 1 (बहुविकलांग)
2. लक्ष्मी पुत्री स्वतंत्र बरेठा, आयु 12 वर्ष, कक्षा 2 (मूक-बधिर)
3. अरुण पुत्र ओमप्रकाश अहिरवार, आयु 12 वर्ष, कक्षा 3 (अस्थि बाधित)
4. बबीता पुत्री मनोज, आयु 12 वर्ष, कक्षा 4 (मूक-बधिर, दुर्घटना के कारण)
5. आकाश पुत्र प्रकाश तायड़े, आयु 12 वर्ष, कक्षा 4 (अस्थिबाधित, दुर्घटना के कारण)
6. राधिका पुत्री अमर सिंह चौहान, आयु 12 वर्ष, कक्षा 5 (अस्थिबाधित)
7. सूरज पुत्र शंभूदयाल परिहार, आयु 17 वर्ष, कक्षा 5 (मानसिक)

चूंकि इस शाला में औसत के अनुरूप दिव्यांग अधिक बच्चे हैं इसलिये कई बातों को जानने का प्रयास किया गया।

खास ध्यान दिये जाने के सवाल पर शिक्षिकाओं ने बताया कि वे इन बच्चों के प्रति अतिरिक्त सचेत रहती हैं। जिन बच्चों को ठीक से सुनाई नहीं देता उन्हें आगे बिठाया जाता है ताकि उन्हें ठीक से सुनाई दे सके एवं निर्देश समझ में आ सकें। हालांकि शिक्षिकाओं का यह दावा लक्ष्मी बरेठा के उस कथन का विरोधाभासी है जिसमें लक्ष्मी ने कहा कि वह कक्षा में अंतिम पंक्ति में बैठती हैं। लक्ष्मी को सुनाई दे इसके लिए शिक्षिकाएँ ऊँचा बोलती हैं इस बात की पुष्टि दोनों ही स्तर पर हुई अन्य बच्चों द्वारा दुर्व्यवहार के संदर्भ में पूछने पर शिक्षिकाओं ने कहा कि एक बच्चा पढ़ाई तो कर लेता है पर आसपास का ध्यान नहीं रख पाता कि क्या चल रहा है? इसलिए वे इस बारे में अधिक सतर्क रहती हैं।

शिक्षिकाओं के अनुसार वे इस बात का ध्यान रखती हैं कि यदि इन छात्रों को कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो बार-बार बताएँ। हालांकि ऐसा करने से अन्य बच्चों की पढ़ाई मे बाधा आती है इसलिए हर बार ऐसा संभव नहीं हो पाता।

इसके लिए क्लास के अन्य कमजोर बच्चों के साथ इन बच्चों को भी अतिरिक्त समय दिया जाता है। हालांकि मार्च 2017 में ऐसे बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया गया था जिसमें विद्यालय की एक शिक्षिका ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन विद्यालय में मौजूद सभी शिक्षकों का मानना है कि इसके बावजूद मानसिक, दृष्टिबाधित व मूक-बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों या विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और इन दोनों में से एक भी सुविधा उनके पास नहीं है, इसलिए स्वाभाविक है कि इन बच्चों की पढ़ाई में कहीं न कहीं कमी रह जा रही है। शिक्षिकाओं का यह भी कहना है कि अधिकांश बच्चों के माता-पिता दिहाड़ी कमाने वाले हैं इसलिए इनकी पढ़ाई पर ध्यान देने व उचित देखरेख के लिए उनके पास समय नहीं होता। कई माता-पिता स्वयं भी अशिक्षित या कम पढ़े-लिखे हैं इसलिए भी वे इनकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाते।

विद्यालय के माध्यम से इन बच्चों को मिलने वाले प्रोत्साहन या मदद के बारे में बताया गया कि ऐसी सुविधाएँ जैसे कि छात्रवृत्ति, या अन्य किसी शुल्क आदि में छूट विकलांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त होती हैं और सभी बच्चों के प्रमाण-पत्र बने हैं और उनको नियमानुसार छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। कुछ शिक्षिकाओं का मानना है कि यदि इन बच्चों को आवश्यकता के अनुरूप उपकरण भी छात्रवृत्ति की तरह ही नामांकन के अनुसार विद्यालय के माध्यम से ही प्राप्त हो सकें तो इन बच्चों की पढ़ाई और बेहतर हो सकेगी। इस सुझाव के पीछे उनका तर्क यह है कि बच्चों के माता-पिता उनका भला तो चाहते हैं पर उसके लिये समय नहीं दे पाते क्योंकि अधिकांश परिवारों की आर्थिक हालत ठीक नहीं हैं और शिक्षा व जागरूकता का माहौल भी नहीं है। पालक बच्चों को किसी कैंप आदि में कभी-कभार ही ले जा पाते हैं जहाँ उन्हें विशेष उपकरण प्राप्त हो सकें। उन्होंने आगे कहा कि इन बच्चों के माता-पिता मजदूरी करते हैं और निजी अस्पतालों में अपने बच्चों का महंगा इलाज कराने में असमर्थ हैं। यदि वे समय-समय पर सरकारी तौर पर लगने वाले कैंप में इन बच्चों को ले जाते हैं तो वहां लगने वाले समय के कारण उनकी मजदूरी मारी जाती है जो कि उनके लिए बहुत मायने रखती है। दूसरी ओर सरकारी इलाज की मदद के लिए कई दिनों की लंबी अवधि और जटिल कागज़ी प्रक्रिया भी होती है जिसकी वजह से बच्चों के इलाज के प्रति उनमें उदासीनता का भाव भी आ गया है। अतः बेहतर होगा कि जिस तरह अन्य कई तरह के काम

स्कूलों के माध्यम से संपन्न किये जाते हैं इस प्रकार के दस्तावेज बनाने और मदद प्रदान करने के लिये स्कूलों में ही कैंप लगाये जाने चाहिये।

इन चार विद्यालयों के अलावा हमने बांसखेडी प्राथमिक विद्यालय, अकबरपुर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, हिनौतिया आलम माध्यमिक शालाअ में भी संपर्क किया किन्तु वहां कोई भी विशेष बच्चा दर्ज नहीं था और न ही इन विद्यालयों के किसी शिक्षक को विशेषज्ञता संबंधी कोई प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रदान किया गया था।

किसी भी विद्यालय में (जहाँ ऐसे बच्चे अध्ययनरत हैं), यह पूछने पर कि क्या अन्य बच्चे इन बच्चों के साथ कोई भेदभाव करते हैं? शिक्षकों ने यह बात सीधे तौर पर स्वीकार नहीं की, बल्कि बच्चों के मिलजुल कर रहने की बात कही। जिस तरह का असंवेदनशील सामाजिक माहौल शारीरिक रूप के अक्षमता वाले लोगों के प्रति हमारे चारों ओर दिखाई देता है उसमें बच्चों से इस तरह का व्यवहार अनपेक्षित है। हालांकि बातचीत के दौरान शिक्षकों ने कहा कि जब अन्य बच्चे इन बच्चों को चिढ़ाते हैं या किसी अन्य तरह से परेशान करते हैं तो वे उन्हें रोकते हैं और समान दर्जे का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं।

नीतियों व कानून के स्तर पर शारीरिक व मानसिक बाधा से ग्रस्त बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष प्रावधान होने के वावजूद जब हम स्कूलों एवं समुदाय में इन बच्चों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायज़ा लेने गये तो हालात बहुत उत्साहजनक नहीं दिखाई दिए। बहुत ही कम विद्यालयों में ही सही पर विशेष बच्चों के लिये रैंप बनाए गए हैं लेकिन अन्य सुविधाओं के मामले में हालत सिफ़र ही है। जैसे, मात्र 15 प्रतिशत स्कूलों में ही विशेष बच्चों के लिये सुविधाजनक टॉयलेट बनाये जा सके हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिये ब्रेल पुस्तकों का अभाव है।

हालांकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऐसे बच्चों को बराबरी का दर्जा दिये जाने की बात है। सामान्य बच्चों में इनके प्रति बराबरी की भावना का विकास करना भी एक अलिखित उद्देश्य है, लेकिन अधिकांश शिक्षक स्वयं ऐसे बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व के बजाय दया का भाव रखते पाए गए। उन्होंने ऐसे बच्चों की लगन और बुद्धिमत्ता की तारीफ की लेकिन बातचीत के दौरान इन के लिए 'बेचारे', 'किस्मत' जैसे शब्दों का प्रयोग करते पाए गए और अतिरिक्त समय या ध्यान देने का ज़िक्र करते वक़्त भी दयादृष्टि दिखाने या अहसान करने का भाव कुछ शिक्षकों के लहज़े में परिलक्षित हुआ। किसी भी विद्यालय में दिव्यांगता की किसी विशेष श्रेणी

या सभी श्रेणियों के लिए आवश्यक विशेष योग्यता प्राप्त शिक्षक की नियुक्ति नहीं है। मौजूदा शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर एक हद तक इस कमी को दूर किया जा सकता है लेकिन सभी विद्यालयों में कुल तीन शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने ऐसे बच्चों की शिक्षा से संबंधित सामान्य प्रशिक्षण लिया है। माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक विषयवार होते हैं, ऐसे में विशिष्ट बच्चों को सभी विषयों में निपुणता से पढ़ा पाना संभव नहीं है, जबकि विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या शिक्षक-छात्र अनुपात के मानक से भी कम है।

विशेष केंद्र और शिक्षा

समावेशी शिक्षा पद्धति वाले शासकीय विद्यालयों के अलावा भोपाल में विशेष बच्चों के साथ काम करने वाले व उनके लिए बनाए गए कुछ विशेष केंद्रो से भी ऐसे बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में जानकारी हमने प्राप्त की। ऐसे केंद्रों का भ्रमण कर अवलोकन किया, पदाधिकारियों से संवाद किया तथा बच्चों के लिये प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं पुनर्वास प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही जिसमें कई बातें सामने आईं।

आरुषि केंद्र

आरुषि भोपाल स्थित गैर-लाभप्रद संगठन है जिसमें दिव्यांग लोगों, ख़ासकर बच्चों और उनसे संबंधित मुद्दों के लिए काम किया जाता है। इनके काम का मूल उद्देश्य दिव्यांग लोगों में अवसरों का विकास और क्षमता विकसित करना है ताकि वे अपने विकल्पों का आकलन करने और उचित निर्णय लेने में सक्षम हों। 1992 में अपनी स्थापना के बाद से आरुषि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पद्धतियों पर भी निरंतर काम कर रहा है।

केंद्र के प्रबंधक अनिल जी ने बताया कि नवनिधि हसौमल लखानी क्षमता विकास केंद्र का मकसद अलग-अलग परिस्थितियों और वंचित वर्गों से आने वाले दिव्यांग लोगों के लिए एक छत के नीचे सर्वोत्तम सुविधाएं और संसाधन प्रदान करना है। केंद्र की तीन मंजिला इमारत भारत की पहली और एकमात्र पूरी तरह से दिव्यांग-अनुकूल इमारत है, जिसका मतलब है कि इसमें उपलब्ध संसाधन किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ एवं मित्रवत हैं।

वर्तमान में केंद्र में विशेष बच्चों की संख्या 200 है जिनकी शिक्षा के साथ-साथ समग्र विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। बच्चों की शारीरिक अवस्था व मानसिक स्तर का आकलन करने के उपरांत ही यह तय किया जाता है कि उन्हें किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए बच्चों की उनके मानसिक विकास के स्तर के आधार पर तैयारी कराई जाती है। इसके लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक केंद्र में मौजूद हैं व साथ ही विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है।

केन्द्र में बच्चों के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिनका उपयोग करते हुए केंद्र के कार्यकर्ता व प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए बच्चे हमें मिले।

रिकॉर्डिंग स्टूडियो व ऑडियो लायब्रेरी

अत्याधुनिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री की रिकॉर्डिंग की जाती है, ताकि बच्चे सुनकर सीख सकें। केंद्र की ऑडियो लायब्रेरी भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी लायब्रेरी है। यहाँ नेत्रहीनों के लिए ऑडियो कैसेट्स और कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में 40,000 घंटे की अध्ययन सामग्री उपलब्ध हैं। आवश्यकता के अनुसार किसी विषय के लिए वांछित भाषा में रिकॉर्डिंक की जाती है।

ब्रेल लाइब्रेरी व प्रकाषन

इस पुस्तकालय में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल लिपि में पुस्तकें उपलब्ध है। केंद्र का अपना प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ प्रदेश व अन्य राज्यों के लिए भी ब्रेल लिपि में पुस्तकें तैयार की जाती हैं।

कम्प्यूटर व इंटरनेट केंद्र

यहाँ सभी बच्चों को बुनियादी कम्प्यूटर साक्षरता प्रदान की जाती है। आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। केंद्र में अधिकांश बच्चे कम्प्यूटर के उपयोग में कुशल हैं और आसानी से इंटरनेट सर्फ़िंग कर सकते हैं। बच्चों के अतिरिक्त दिव्यांगों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 200 प्रशिक्षकों व आठ अन्य राज्यों के दृष्टिबाधित व्यक्तियों को यहाँ प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

योग्यतानुसार कक्षाएँ

इन कक्षाओं में दिव्यांग बच्चों की स्कूल की तैयारी करवाई जाती है। विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक ज़रूरतों के मुताबिक विद्यालय के समय के बाद कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। इसके अलावा शिक्षकों, सामुदाय के लोगों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए संवेदनशीलता, जागरूकता और क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

पुनर्वास सुविधाएँ

सुविधा व उपकरणों से युक्त फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ऑडियोलॉजी यूनिट्स जैसी पुनर्वास सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं और सभी यूनिट्स में प्रशिक्षित व अनुभवी चिकित्सक व प्रशिक्षक हैं।

अतिरिक्त गतिविधियाँ:

केंद्र पर आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा व चिकित्सा के अलावाा अन्य गतिविधियाँ भी नियमित रूप से संचालित होती हैं, जिनका उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास के साथ-साथ उनमें रोजगारपरक क्षमताओं का विकास करना है। इसमें संगीत, चित्रकला, इनडोर गेम्स, नृत्य व अन्य रुचिकर गतिविधियों के अलावा मोमबत्ती, चीनी मिट्टी की चीजें, मिट्टी के बर्तन, ग्रीटिंग कार्ड बनाना व अन्य क्राफ्ट वर्क सिखाया जाता है।

इसके अलावा विशेष बच्चों को उनके घरों से लाने व ले जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है।

यह पूछने पर कि क्या सभी बच्चों से फीस ली जाती है? केंद्र प्रबंधक अनिल जी ने बताया कि बच्चों से फीस का प्रावधान तो है परंतु बहुत कम बच्चों के माता-पिता ही उनकी फीस भर पाते हैं, इसलिये कुछ सक्षम परिवारों से प्राप्त होने वाली फीस से ही सेंटर का व्यय निकालने का प्रयास किया जाता है।

बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने बताया कि अक्सर विशेष बच्चे उनके अपने पालकों की प्राथमिकता में भी नहीं आते। उन पर बहुत कम व्यय किया जाता है क्योंकि अन्य बच्चों के मुकाबले भविष्य में उनसे रिटर्न प्राप्त होने की संभावना नहीं होती।

क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र (सी.आर.सी.), भोपाल

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की गई एक पहल के रूप में सी.आर.सी. भोपाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में दिव्यांगों के लिए एक मात्र शासकीय पुनर्वास केन्द्र है जो अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है। हालाँकि इस केन्द्र का शिक्षा की मुख्यधारा में बच्चों के स्तर पर सीधा कोई दखल नहीं है, किन्तु यह इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सी.आर.सी. में हमने प्रो. गणेष, डॉ. अरुण जोशी, डॉ. इंद्रभूषण एवं डॉ. श्रीमती अरुणा रविपति से बातचीत की। सभी ने हमें केंद्र पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया और केंद्र का व्यापक अवलोकन करने की सुविधा भी प्रदान की।

श्रीमती अरुणा रविपति ने बताया कि सी.आर.सी. राज्य शिक्षा केंद्र के साथ मिलकर शासकीय शिक्षकों के लिये विशेष प्रशिक्षण आयोजित करता है ताकि स्कूलों में इस प्रकार के बच्चों के आने पर उनको पढ़ाने में दिक्कत न हो। उन्होंने बताया कि भारत के पुनर्वास परिषद द्वारा स्वीकृत दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, इंटर्नशिप, पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले छात्रों का प्लेसमेंट, फैकल्टी एक्सचेंज व सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी सुविधाएँ केंद्र मुहैया कराता है। समावेशी शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षकों का प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है ताकि वे सामान्य व दिव्यांग बच्चों को समान शिक्षा दे सकें। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे प्रशिक्षण अधिक से अधिक आयोजित करें, लेकिन इसके लिए हम शिक्षा विभाग पर निर्भर हैं। शिक्षा विभाग के अपनी व्यस्तता और कारण होंगे, शायद इसीलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारी अपेक्षा के अनुरूप पर्याप्त संख्या में आयोजित नहीं हो पाते, ज़ाहिर है कि इसका असर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। हालांकि केंद्र में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से कई युवा अब तक तैयार हो चुके हैं जो ऐसे बच्चों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने में मदद सकते हैं। इनमें कई युवा विभिन्न विशेष केंद्रों में कार्यरत हैं, लेकिन विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की संख्या अभी भी न्यूनतम है।

केंद्र द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस प्रकार के बच्चों की पहचान के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सरकारी व गैर-सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ नेटवर्क बनाकर काम किया जाता है ताकि विशेश बच्चों की पहचान हो सके एवं उनके साथ संचालित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जागरूक व

प्रशिक्षित किया जा सके। बच्चों के फॉलोअप में भी संस्थाओं की खास भूमिका होती है क्योंकि केंद्र पर आने वाले तकरीबन 80 प्रतिशत बच्चे संस्थाओं के माध्यम से ही आते हैं। गैर-सरकारी संगठनों के अलावा बस्तियों में माता-पिता के समूहों को भी दिव्यांग बच्चों की देखभाल, पहचान एवं अन्य मुद्धों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

केन्द्र में आने वाले बच्चों की शिक्षा कैसे संभव होती है? इसके जवाब में हमें सी.आर.सी. के उस कक्ष का भ्रमण कराया गया जहाँ विभिन्न शारीरिक व मानसिक अक्षमता वाले बच्चों को उनकी श्रेणी के अनुसार समूहों में बाँटकर पढ़ाया जा रहा था। यह केंद्र का प्री-स्कूलिंग कार्यक्रम था, जहाँ शिक्षकों व केंद्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका उद्देश्य उन्हें सामान्य विद्यालयों में दाखिले के लिये तैयार करना है।

सी.आर.सी. में चिकित्सा मनोविज्ञान विभाग में नियुक्त डॉ. इंद्रभूषण ने कहा कि विद्यालयों में एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति भी होनी चाहिए। वर्तमान में जिस तरह की दबावपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है उसमें ऐसे बच्चे जिन्हें घर, मोहल्ले, स्कूल हर जगह कम अहमियत दिये जाने का दबाव झेलते हुए अपने को साबित करना है, उनकी मनोदशा का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। सामान्य तौर पर शिक्षकों का ध्यान अपना कोर्स पूरा कराने और किसी भी तरह बच्चे को अच्छे नंबर दिलाने पर होता है। ख़ासकर यदि कोई दिव्यांग बच्चा उग्रता प्रदर्शित कर रहा है या पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा, काम पूरा नहीं कर पा रहा तो शिक्षण इसे भी उसकी अक्षमता का ही हिस्सा मान लेते हैं, उनका वह प्रशिक्षण ही नहीं है कि बच्चों के मनोविज्ञान को वे समझ सकें और उनकी मदद कर सकें। हरेक शिक्षक को इसमें पारंगत भी नहीं किया जा सकता इसलिए बेहतर होगा यदि विद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक भी मौजूद हो।

सी.आर.सी. द्वारा जागरूकता, परामर्श व प्रशिक्षण के अतिरिक्त जो सेवाएँ प्रदान की जाती हैं व कार्य मुख्य रूप से संपादित किये जाते हैं, वह हैं- शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप, सभी दिव्यांगों के लिए प्री-स्कूलिंग, भौतिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा, व्यवसाय चिकित्सा, कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण का निर्माण व प्रत्यारोपण, विशेष शिक्षा, मनोचिकित्सकीय सेवाएँ, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रोज़गार में सहायता, मनोरंजन कार्यकलाप व सामाजिक क्लबों को प्रोत्साहन।

आयाम स्कूल फॉर इन्क्लूसिव एजुकेशन

आयाम स्कूल समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षा मण्डल से मान्यताप्राप्त निजी विद्यालय है। वर्तमान में विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों की संख्या 205 है जिनमें से 65 बच्चे विभिन्न श्रेणियों में शारीरिक व मानसिक बाधा वाले हैं। विद्यालय में 8 शिक्षक हैं। स्टाफ में 2 विशिष्ट शिक्षक (MR and RCI) स्थायी नियुक्ति पर हैं, इसके अतिरिक्त अतिथि शिक्षक व कार्यकर्ता बच्चों के शिक्षण के लिए नियमित रूप से आते हैं। यहाँ विशिष्ट योग्यता वाले बच्चों की कक्षाएं उनकी विशिष्टता की श्रेणी के अनुसार लगाई जाती हैं, लेकिन रोजाना भोजन व एक घंटे की अतिरिक्त गतिविधियाँ अन्य सामान्य बच्चों के साथ संयुक्त रूप से कराई जाती हैं, ताकि अन्य बच्चों के साथ समावेश हो सके। ऐसे बच्चों की मदद करने का कार्य, जैसे उन्हें ऊपरी मंजिल पर ले जाना, पढ़ाई में मदद करना, भोजन इत्यादि लगाना आदि, विद्यालय के सीनियर बच्चों से कराया जाता है। विद्यालय की संचालिका श्रीमती वीवा जोशी कहती हैं कि बहुत लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम विद्यालय में बच्चों से काम कराते हैं, सामान्य बच्चों से इन बच्चों की देखभाल कराते हैं, लेकिन हम इसे एक ज़रूरी गतिविधि मानते हैं ताकि सामान्य बच्चे इन बच्चों की आवश्यकताओं को समझ सकें, इनके प्रति संवेदनशील बन सकें व उनका इन बच्चों के प्रति समानता का व्यवहार बन सके और विशिष्ट बच्चों में अपने मोहल्ले आस-पास के वातावरण के कारण जो हीनभावना व झिझक आ जाती है वह टूटे। इसका परिणाम आप भोजन व अतिरिक्त गतिविधि समय में देख सकते हैं, लगता नहीं है कि एक सामान्य बच्चा है और दूसरा किसी शारीरिक बाधा से ग्रस्त, सभी बराबरी से भागीदारी करते हैं।

विद्यालय में हर कक्षा में सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी रखी जाती है ताकि इन बच्चों के साथ किसी किस्म के भेदभाव को मॉनिटर किया जा सके। यदि ऐसी कोई घटना आती है तो संबंधित स्टाफ के साथ सख्त कार्रवाई की जाती है। अतिरिक्त गतिविधियों में बच्चों को संगीत, हैण्डिक्राफ्ट, चित्रकला आदि कलाएं भी सिखाई जाती हैं। यदि किसी बच्चे की खेलों में दिलचस्पी है तो उसे भी यथायोग्य सम्मिलित किया जाता है या ऐसे खेलों की ओर प्रोत्साहित किया जाता है, जिनमें उन्हें हीनताबोध न हो। कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएँ भी लगाई जाती हैं।

विद्यालय की प्रबंधक सुश्री रंजना तिवारी ने बताया कि उनका ध्यान ऐसे बच्चों की बेहतर शिक्षा पर तो है ही साथ ही इस बात पर भी है कि इन बच्चों

में जीवनोपयोगी कौशल का भी विकास हो ताकि आगे चलकर ये बच्चे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। विद्यालय की संचालिका श्रीमती जोशी स्वयं हैण्डिक्राफ्ट में निपुण हैं व प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का काम स्वतंत्र रूप से करती हैं, इसलिए उनका बच्चों में इसकी कुशलता विकसित करने की ओर ख़ास ध्यान है और वे स्वयं बच्चों को इसका प्रशिक्षण देती हैं। श्रीमती जोशी कहती हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जब तक ये बच्चे आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक इनके लिए मुश्किलें ख़त्म नहीं होतीं। सामान्य बच्चों के लिए रोजगार के जितने विकल्प उपलब्ध हैं इन बच्चों के लिए नहीं हैं। हमारा सोचना है कि क्यों न इन बच्चों को ऐसे रोजगार की संभावना उत्पन्न की जाए जिसे ये निपुणता से कर सकें और इनके लिए जोखिम कम हो। हैण्डिक्राफ्ट इसका सबसे अच्छा विकल्प है। भविष्य के लिए हमारी योजना है कि हमारे यहाँ ऐसे जो बच्चे शिक्षित हों उन्हें हम रोज़गार भी उपलब्ध करा सकें।

हाल ही में विद्यालय का स्थान परिवर्तन हुआ है और किराये की इमारत में संचालित है जहाँ रैम्प आदि सुविधाएँ नहीं हैं। प्रबंधन का कहना है कि वह इन सुविधाओं से युक्त विकल्प की तलाश में हैं। विद्यालय शासकीय मान्यता प्राप्त है किन्तु उसे किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता है। बच्चों को विद्यालय लाने व छोड़ने के लिए निजी वैन है। विशिष्ट बच्चों की शिक्षा व परिवहन पूर्णतः निःशुल्क है इसके अलावा ऐसे सामान्य बच्चों, जो ग़रीब तबके से आते हैं, की शिक्षा व परिवहन भी निःशुल्क है। विद्यालय में अधिकांश बच्चे दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले परिवारों के हैं, यानी तक़रीबन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। श्रीमती जोशी का कहना है कि जो परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हैं वे कहीं भी अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं लेकिन मज़दूरी करके जीवन-यापन करने वाले माता-पिता ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम स्वयं बस्तियों में सर्वे कर ऐसे बच्चों को अपने विद्यालय में लाते हैं। निःशल्क शिक्षा भी इसीलिए है ताकि शुल्क के अभाव में ये बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें।

भोपाल में विशेष बच्चों के हित में कार्यरत अन्य संस्थान

- दिग्दर्शिका
- आधार ज्ञान धात्री समिति
- शालोम स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली चेलेंज्ड चिल्ड्रन

- भोपाल स्पेशल नीड कंसल्टेंसी सर्विस
- आशा निकेतन मूक बधिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
- परियम स्कूल फॉर मेंटली चेलेंज्ड चिल्ड्रन
- ज्योति होम

चुनौतियाँ व सुझाव

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का स्तर और चुनौतियाँ जानने के लिए बच्चों, उनके परिजनों, शिक्षकों व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हुई चर्चा व विद्यालयों व विशेष केन्द्रों का अवलोकन करने के उपरांत सामने आई स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकारों द्वारा तमाम योजनाएँ व कानून लागू करने के बावजूद दिव्यांग बच्चों की शिक्षा अभी भी काफी दयनीय स्थिति में है। हालांकि ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ इस दिशा में काफी बेहतर कार्य कर रही हैं, लेकिन उनकी संख्या और क्षमता सीमित है। यदि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारना है तो निश्चित रूप से शासकीय विद्यालयों को इस योग्य बनाना होगा। साथ ही उन चुनौतियों का भी समाधान ढूँढना होगा जिनकी वजह से ऐसे बच्चों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है।

अध्ययन से जो प्रमुख चुनौतियाँ उभरकर सामने आईं, वे हैं -

- परिवार व समुदाय में जागरूकता एवं जानकारी का अभाव
- आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन
- मुख्यधारा के विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं जैसे रैम्प, अनुकूल शौचालय आदि का अभाव
- कृत्रिम अंगों व सहायक उपकरणों का अभाव
- शासकीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के अनुकूल पाठ्य सामग्री का अभाव
- शासकीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के अनुकूल खेल-सामग्री का अभाव

- शासकीय विद्यालयों में शिक्षा के अतिरिक्त अन्य रुचिकर गतिविधियों की कमी
- शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व देखरेख संबंधी प्रशिक्षण का अभाव
- शिक्षकों की असंवेदनशीलता
- शासकीय विशेष विद्यालयों की कमी
- विशेष विद्यायलयों/केंद्रों में दिव्यांगता की श्रेणियों के अनुसार योग्य व प्रशिक्षित स्टाफ की कमी
- शासकीय विद्यालयों में दिव्यांगता की सभी श्रेणियों पर समान रूप से मूलभूत योग्यता वाले शिक्षकों का अभाव
- विकलांगता प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया में अधिक समय लगना
- स्वास्थ्य शिविरों में जाँच से उपरांत मिलने वाली मदद में विलंब, और
- शासकीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों का न्यूनतम नामांकन।

उपरोक्त चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण है अंतिम चुनौती। सरकारी तौर पर भले ही यह दावे किये जाते हों कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किये जा रहे हैं और उनका परिणाम भी काफी उत्साहजनक है, लेकिन इसी रिपोर्ट में हमने देखा कि भोपाल ज़िले में दिव्यांग बच्चों की संख्या कितनी अधिक है लेकिन शासकीय विद्यालयों ऐसे बच्चों की उपस्थिति किस हद तक कम है, जबकि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित केंद्रों में ऐसे बच्चों की उपस्थिति शासकीय विद्यालयों की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इन बच्चों को शासकीय विद्यालय तक लाने की प्रक्रिया में कमी है। जब तक ज़रूरतमंद बच्चे विद्यालयों तक नहीं पहुँचेंगे उनकी शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्तरी की बात करना बेमानी है। इस चुनौती या कहें कि ख़ामी का समाधान प्राथमिकता के स्तर पर करना ज़रूरी है उसके उपरांत ही बाकी अन्य चुनौतियों का समाधान करने से दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकेगी।

विभिन्न श्रेणियों की शारीरिक व मानासिक बाधा से ग्रस्त बच्चों को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने व शिक्षा में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं -

- दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर विद्यालयों में उनका योग्यतानुसार नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यरत नागर समाज संगठनों व ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग कर प्रयास किया जाए।
- प्रत्येक शासकीय विद्यालय में हर प्रकार की दिव्यांगता श्रेणी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अनुकूल अधोसंरचना वाले कक्ष व मैदान सुनिश्चित किए जाऐं।
- प्रत्येक विद्यालय में हर प्रकार की दिव्यांगता श्रेणी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अनुकूल व सुलभ मूलभूत सुविधाएँ जैसे कि रैम्प, शौचालय, बैठने के लिए बैंच या कुर्सी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- प्रत्येक विद्यालय में नामांकित दिव्यांग बच्चों की विशेषता के अनुसार उसे पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, जैसे ब्रेल पुस्तकें आदि।
- विद्यालयों में नामांकित दिव्यांग बच्चों का विकलांगता प्रमाण-पत्र विद्य ालय के माध्यम से ही बनाने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए जाँच शिविर विद्यालय में आयोजित किये जा सकते हैं।
- जाँच के उपरांत आवश्यकतानुरूप चिकित्सकीय सुविधा व सहायक उपकरण कम से कम समय में बच्चों को उपलब्ध कराए जाऐं।
- विद्यालयों में विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
- विद्यालयों में बच्चों की काउंसलिंग के लिए बाल-मनोविज्ञान में प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति की जाए।
- विद्यालयों में पहले से सेवारत शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण पद्धति का वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण प्रदान किया जाए व समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी कराया जाए।
- जिले में दिव्यांगता की प्रत्येक श्रेणी के लिये प्रथक-प्रथक संस्थान या आवश्यक संख्या के अनुरूप विशेष विद्यालय स्थापित किए जाऐं।
- विकलांगता प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया बहुत सहज और सुलभ होनी चाहिए।
- पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में संबंधित को पूर्ण गुज़ारा भत्ता प्रदान किया जाए एवं आंशिक दिव्यांगता की दशा में नौकरी की गारंटी की जानी चाहिए।

संलग्नक- 1

Profile - District-wise count of CWSN and their Mainstreaming and OOSC

HI- Hearing Impaired, VH-Visually Handicapped, OH-OHTHOPEDIC, MR-Mental Retarded, LD-Learning Disbaility, MD-Mutiple Disability, CP-Celebral Palsi, OT- Other

CWSN		HI	VH	OH	MR	LD	MD	CP	OT	VI
District - BHOPAL										
	CWSN Boys									
	CWSN Girls									
Total CWSN in Basahat	Total CWSN									
	Enrolled Boys									
	Enrolled Girls									
Total Enrolled in School	Total Enrolled									
	OOSC Boys									
	OOSC Girls									
Total OOSC	Total OOSC									

Source: http://www.educationportal.mp.gov.in/CWSN/Public/CWSN_Main.aspx

District Wise summary of the Identified Out Of School Children (OOSC), Registered OOSC and Registered CWSN											
This Report is generated at NIGHT and is not live.											
		Target Population		Enrolled Children		OOSC Identified		Total OOSC Registered		Total CWSN Registered	
S.No	District	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
1	AGAR MALWA	51732	47728	51686	47701	46	27	47	47	144	94
2	ALIRAJPUR	85564	80483	82746	77619	2742	2791	1976	1976	30	14
3	ANUPPUR	65708	63869	65628	63814	80	55	57	57	473	380
4	ASHOKNAGAR	95196	87876	94477	87144	691	712	611	611	221	167
5	BALAGHAT	138883	135674	138563	135508	304	146	320	320	1474	1147
6	BARWANI	142578	139601	140804	138693	1774	908	1733	1733	120	102
7	BETUL	133334	129039	132780	128518	516	492	565	565	533	468
8	BHIND	172071	145628	172019	145601	52	27	53	53	865	519
9	BHOPAL	217297	211269	216882	210862	415	407	186	186	135	89
10	BURHANPUR	67594	61860	65828	60837	1766	1023	1754	1754	5	3
11	CHHATARPUR	205618	188836	204105	188235	1513	601	1412	1412	637	418
12	CHHINDWARA	180965	173572	180549	173357	416	215	403	403	645	422
13	DAMOH	125489	117682	124873	117398	611	283	567	567	700	472
14	DATIA	79180	69622	78994	69532	186	90	183	183	269	179
15	DEWAS	147208	135520	146623	135028	585	492	542	542	200	120
16	DHAR	244741	223947	243252	222946	1347	880	1380	1380	755	600
17	DINDORI	67861	67511	67740	67310	121	201	215	215	296	196
18	GUNA	147256	134411	146629	133831	627	580	152	152	795	547

Source: http://www.educationportal.mp.gov.in/CWSN/Public/CWSN_Main.aspx

Class wise & Incidence of Disability Enrollment of CWSN																		
Block	**Class**	**Mental Retarded (MR)**		**OHTHO-PEDIC (OH)**		**Mutiple Disability (MD)**		**Hearing Impaired (HI)**		**Celebral Palsi (CP)**		**Visu-ally Handi-capped (VH)**		**Learning Dis-baility (LD)**		**(OT)**		**Total**
		Boy	Girl	Boy	Girl	Boy	Girl	Boy	Girl	Boy	Girl	Boy	Girl	Boy	Girl	Boy	Girl	
BERASIA	3	5	2	10	2	2	0	2	4	0	0	0	2	0	0	0	0	29
	4	6	9	17	9	2	1	11	4	0	0	4	2	0	0	2	0	67
	5	14	8	24	13	0	2	10	8	0	0	6	6	0	0	1	0	92
	6	17	9	20	11	4	1	11	6	1	0	8	11	0	1	2	1	103
	7	10	16	26	14	3	1	19	13	0	0	9	5	0	0	1	2	119
	8	16	11	30	13	1	1	14	10	0	0	9	13	0	0	0	0	118
PHANDA GRAMIN	OoSC	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5
	1	1	11	6	3	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	5	4	38
	2	9	4	3	6	3	3	0	1	0	0	1	2	10	10	4	8	64
	3	9	14	13	4	2	4	2	4	0	0	2	2	28	16	5	1	106
	4	30	13	7	4	1	2	0	5	0	0	2	0	50	47	3	5	169
	5	21	14	9	5	5	0	5	4	1	0	0	0	44	35	9	6	158
	6	11	7	9	7	4	4	3	3	1	0	2	0	27	11	0	3	92
	7	21	21	8	3	3	1	1	1	0	0	0	0	61	49	4	6	179
	8	9	8	12	10	3	0	5	9	0	0	1	1	32	23	3	6	122

PHANDA URBAN (New City)	OoSC	47	22	3	1	11	1	9	6	10	6	1	1	2	0	2	5	127
	1	87	41	5	0	3	0	9	2	0	0	2	0	0	0	1	0	150
	2	43	13	12	7	15	6	54	34	4	0	3	3	6	4	1	0	205
	3	5	5	5	4	1	2	17	16	1	1	3	5	7	1	1	1	75
	4	14	4	2	2	0	3	12	12	0	0	3	1	25	16	0	0	94
	5	5	1	4	2	0	3	16	7	0	0	2	1	22	15	0	1	79
	6	8	1	4	2	0	0	13	16	0	0	5	3	15	12	0	3	82
	7	4	1	4	4	0	0	7	8	0	0	2	0	27	8	0	0	65
	8	1	1	1	3	0	0	9	13	0	0	4	0	8	3	0	0	43
Phanda Urban (Old City)	OoSC	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	1	27	10	0	0	0	0	10	5	0	0	2	0	3	4	0	0	61
	2	6	2	2	1	1	0	14	0	0	0	4	1	8	8	0	0	47
	3	0	2	0	2	0	0	6	2	0	0	1	1	9	4	0	0	27
	4	1	2	2	1	0	3	13	8	0	0	1	2	11	9	0	0	53
	5	2	5	5	1	2	1	15	1	1	0	4	0	6	6	1	0	50
	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	11	8	0	0	24
	7	2	0	2	2	0	1	9	2	0	0	1	0	15	6	0	0	40
	8	3	2	8	4	1	0	12	5	0	0	6	3	9	4	0	0	57

Source: http://www.educationportal.mp.gov.in/CWSN/Public/CWSN_Main.aspx